न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 6/2021

1. जयकुमार पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. फुलाराम पुत्र ननुराम उर्फ मेहरचंद जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा। –मृतक
2. रोहताश पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
3. राजबाला पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
4. केलादेवी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
5. दर्शना पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सूरतपुरा के खाता सं0 85/85 के मु0 न0 2 किला न0 9 ता 12, 19 व 20, मु0 न0 7 किला न0 15/2, 16/2, 25/1, मु0 न0 8 किला न0 11/1, 12/1, 19 ता 22, मु0 न0 31 किला न0 1, 10, 11, मु0 न0 32 किला न0 5/1, 6/1, 15/1, 16, 25 मु0 न0 70 किला न0 16 ता 19, 21 ता 25, मु0 न0 122 किला न0 19/2, 20/2, 21/2, 22/2, मु0 न0 145 किला न0 1 व 2 कुल 8.1960है0, जिसमें बारानी 8.1700है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0260है0 व रोही चक 9 जेएसएल के खाता सं0 146/146 के मु0 न0 207 के किला न0 6, 7, 14 ता 17 कुल 1.518है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 फुलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 फुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी जयकुमार व प्रतिवादी सं0 2 रोहताश को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/09/21..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 6/2021

1. जयकुमार पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. फुलाराम पुत्र ननुराम उर्फ मेहरचंद जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा। —मृतक
2. रोहताश पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
3. राजबाला पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
4. केलादेवी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
5. दर्शना पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी सूरतपुरा त0 भादरा।
6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : वादी

वकील श्री राममूर्ति ताखर: प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 10/08/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सूरतपुरा के खाता सं0 85/85 के मु0 न0 2 किला न0 9 ता 12, 19 व 20, मु0 न0 7 किला न0 15/2, 16/2, 25/1, मु0 न0 8 किला न0 11/1, 12/1, 19 ता 22, मु0 न0 31 किला न0 1, 10, 11, मु0 न0 32 किला न0 5/1, 6/1, 15/1, 16, 25 मु0 न0 70 किला न0 16 ता 19, 21 ता 25, मु0 न0 122 किला न0 19/2, 20/2, 21/2, 22/2, मु0 न0 145 किला न0 1 व 2 कुल 8.1960है0, जिसमें बारानी 8.1700है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0260है0 व रोही चक 9 जेएसएल के खाता सं0 146/146 के मु0 न0 207 के किला न0 6, 7, 14 ता 17 कुल 1.518है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 फुलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा ननुराम उर्फ मेहरचंद की खातेदारी हुआ करती थी। ननुराम उर्फ मेहरचंद के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 दीवानसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से दावा की राभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान

Scanned with CamScanner

पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी सं0 6 स्टेट की ओर से जवाव दावा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडव्ल्यु 1 जयकुमार पुत्र फुलाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमावंदी रोही सूरतपुरा के खाता सं0 85/85 संवत 2071–74 प्रदर्श 1, जमावंदी रोही चक 9 जेएसएल के खाता सं0 146/146 संवत 2072–75 प्रदर्श 2, दादालाई जमावंदी भू प्रवंध विभाग चक 9 जेएसएल प्रदर्श 3, जमावंदी खतौनी रोही सूरतपुरा खाता सं0 33 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सूरतपुरा प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही सूरतपरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी सूरतपुरा के खाता सं0 85/85 संवत 2071–74 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही चक 9 जेएसएल के खाता सं0 146/146 संवत 2072–75 प्रदर्श 2, दादालाई जमाबंदी भू प्रबंध विभाग चक 9 जेएसएल प्रदर्श 3, जमाबंदी खतौनी रोही सूरतपुरा खाता सं0 33 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सूरतपुरा प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 5 वारिस प्रमाण के अनुसार फुलाराम के दो पुत्र जयकुमार व रोहताश व तीन पुत्री राजबाला, केलादेवी व दर्शना तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 3 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। चुंकि प्रतिवादी सं0 1 फुलाराम की दौराने दावा मृत्यु हो चुकी है जिसकी बावत वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व मृत्यु प्रमाण पत्र दावा संलग्न है व फुलाराम के जायज वारिसान पहले ही दावा में पक्षकारान है। प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काविल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा सूरतपुरा के खाता सं0 85/85 के मु0 न0 2 किला न00 9 ता 12, 19 व 20, मु0 न0 7 किला न0 15/2, 16/2, 25/1, मु0 न0 8 किला न0 11/1, 12/1, 19 ता 22, मु0 न0 31 किला न0 1, 10, 11, मु0 न0 32 किला न0 5/1, 6/1, 15/1, 16, 25 मु0 न0 70 किला न0 16 ता 19, 21 ता 25, मु0 न0 122 किला न0 19/2, 20/2, 21/2, 22/2, मु0 न0 145 किला न0 1 व 2 कुल 8.1960है0, जिसमें वारानी 8.1700है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0260है0 व रोही चक 9 जेएसएल के खाता सं0 146/146 के मु0 न0 207 के किला न0 6, 7, 14 ता 17 कुल 1.518है0 वारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 फुलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 फुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी जयकुमार व प्रतिवादी सं0 2 रोहताश को वहिस्सा वरावर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक कोर्ट

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner